पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने अध्यादेश को अनुमति प्रदान की

लखनऊः 27 जून, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने 'उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) अध्यादेश 2018' को प्रख्यापित कर दिया है। मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रि परिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ था। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं उनके प्रभावी नियंत्रण हेतु 'उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) अध्यादेश 2018' द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की आस्तियों, दायित्वों, शक्तियों, क्रियाकलापों व कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा-3 के अंतर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया है।

उक्त अध्यादेशों से संबंधित पत्रावली 26 जून, 2018 को राज्यपाल के अनुमोदन हेतु राजभवन को प्राप्त हुई थी।

अंजुम/ललित/राजभवन(258/35)